

ब अदालत श्री विजय कुमार शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मु0 नं0 : 02/ना/2025

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

तारीख पेशी : 25-08-2025

आत्मी देवी पत्नी स्व0 शम्भू सिंह, गांव दन्देल, डाकघर धुपक्यारा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा,
हि0 प्र0।

बनाम

विषय.—

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बाबत पंजीकरण करने बारे।

आत्मी देवी पत्नी स्व0 शम्भू सिंह, गांव दन्देल, डाकघर धुपक्यारा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना—पत्र हल्फी ब्यान पेश किया व आवेदन किया कि मेरी पुत्री निशि देवी का जन्म दिनांक 07-01-1975 को गांव दन्देल, डाकघर धुपक्यारा, ग्राम पंचायत धुपक्यारा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा में हुआ है। इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अपना शपथ—पत्र भी संलग्न किया है। परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थिया के घरवालों ने जन्म पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत धुपक्यारा के अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपनी पुत्री के जन्म का पंजीकरा करने का आदेश ग्राम पंचायत धुपक्यारा को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इशतहार मुशत्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त निशि देवी पुत्री आत्मी देवी पत्नी स्व0 शम्भू सिंह, गांव दन्देल, डाकघर धुपक्यारा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की जन्म तिथि 07-01-1975 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 25-08-2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने का आदेश सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार, ग्राम पंचायत सचिव धुपक्यारा को जारी कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 25-07-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री विजय कुमार शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मु0 नं0 : 03/ना/2025

किस्म मुकद्दमा : मृत्यु पंजीकरण

तारीख पेशी : 23-08-2025

सतपाल पुत्र स्व0 नन्द लाल, गांव जगनी जाड, डाकघर अप्पर लम्वागांव, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—मुश्री मुनादी व इशतहार अखबारी बराये मृत्यु दर्ज करने बारे।

सतपाल पुत्र स्व० नन्द लाल, गांव जगनी जाड, डाकघर अप्पर लम्वागांव, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान पेश किया व आवेदन किया कि मेरे दादा श्री वली राम पुत्र स्व० सोहनू की मृत्यु दिनांक 15-07-1978 को गांव जगनी जाड, डाकघर अप्पर लम्वागांव, ग्राम पंचायत सोल वनेहड़, तहसील जससिंहपुर, जिला कांगड़ा हि०प्र० में हुई है। इस सन्दर्भ में प्रार्थी ने अपना शपथ-पत्र भी संलग्न किया है, परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थी के घर वालों ने मृत्यु पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत सोल वनेहड़ के अभिलेख में दर्ज न करवाया है। अतः प्रार्थी न्यायालय के माध्यम से अपने दादा की मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत सोल वनेहड़ को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इशतहार मुश्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त वली राम पुत्र स्व० सोहनू, गांव जगनी जाड, डाकघर अप्पर लम्वागांव, तहसील जससिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि०प्र० की मृत्यु तिथि 15-07-1978 के मृत्यु पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 26-08-2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने का आदेश सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार, ग्राम पंचायत सचिव सोल वनेहड़ को जारी कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 30-07-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत श्री हरीश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी/तहसीलदार मुलथान,
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मुकद्दमा नं० : 10/ 2025

तारीख पेशी : 29-08-2025

उनवान मुकद्दमा :

बेगमा देवी पुत्री संत राम, पैतृक गांव पोलिंग, डाकघर लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा हाल निवासी गांव बेडी सिल्ह, डाकघर शीरड, तहसील व जिला कुल्लू, हि०प्र०।

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र बाबत जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त प्रार्थिया बेगमा देवी पुत्री संत राम, पैतृक गांव पोलिंग, डाकघर लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा ने दावा किया है कि उसका जन्म दिनांक 03-09-1964 को गांव पोलिंग, डाकघर लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 में हुआ है। जिसका जन्म पंजीकरण जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत पोलिंग के परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं हुआ है, अब दर्ज किया जाए।

अतः इस इशतहार राजपत्र से आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया का उपरोक्त नाम एवं जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पोलिंग के अभिलेख में पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-08-2025 को असागतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज स्वीकार न होगा और नियमानुसार उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 31-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी मुलथान,
मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

Sh. Onkar Katoch s/o Late Partap Chand, r/o V.P.O. Dari, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Sh. Onkar Katoch s/o Late Partap Chand, r/o V.P.O. Dari, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका self Onkar Katoch s/o Late Partap Chand का जन्म दिनांक 28-04-1953 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत धर्मशाला में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस मुश्ट्री मुनादी द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Onkar Katoch के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 23-08-2025 को असागतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 23-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

Sh. Surjit Kumar s/o Late Devi Saran, r/o Gram Panchayat Tangroti, Village Tangroti, P.O. Ramerh, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Sh. Surjit Kumar s/o Late Devi Saran, r/o Gram Panchayat Tangroti, Village Tangroti, P.O. Ramerh, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका self Surjit Kumar s/o Late Devi Saran का जन्म दिनांक 08-01-1968 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत धर्मशाला में जन्म/मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस मुश्त्री मुनादी द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Surjit Kumar के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 23-08-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 23-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, भवारना,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण

श्रीमती कैलाश देवी पुत्री सुखिया राम, निवासी गदियाड़ा, डाकघर खैरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

प्रार्थिया कैलाश देवी पुत्री सुखिया राम, निवासी गदियाड़ा, डाकघर खैरा, उप—तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अपने जन्म जोकि दिनांक 19-12-1962 को गांव गदियाड़ा, ग्राम पंचायत खैरा में हुआ था, का जन्म स्थानीय पंचायत में पंजीकृत करवाने हेतु प्रार्थना—पत्र मय हल्फी ब्यान, मुख्य पंजीकार (जन्म और मृत्यु) शिमला द्वारा अपर्याप्ता पत्र और अनुशंसा पत्र सहित पेश किया। प्रार्थिया के अनुसार अज्ञानतावश अपनी

जन्म तिथि सम्बन्धित पंचायत खैरा के अभिलेख में दर्ज न हो सकी है। अब प्रार्थिया न्यायलय के आदेशों से उपरोक्त पंचायत में अपनी जन्म तिथि को पंजीकृत करवाना चाहती है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-08-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त जन्म पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले गौर न होगा।

आज दिनांक 25-07-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, हरिपुर, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा :

कृष्णा देवी

बनाम

समस्त जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु तिथि पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी सुरजीत सिंह, वासी महाल रौड, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में दरखास्त की है कि उसके पुत्र आकाशदीप का जन्म ग्राम पंचायत बंगोली के रजिस्टर में गलती से दर्ज नहीं करवाया गया है। प्रार्थिया ने अपने पुत्र के जन्म को ग्राम पंचायत बंगोली के रजिस्टर में दर्ज करने की प्रार्थना की है। प्रार्थिया के पुत्र का जन्म दिनांक 05-08-2007 को हुआ है तथा उसका जन्म गांव रौड, तहसील हरिपुर में हुआ है।

अतः इस नोटिस/मुश्री मुनादी द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी के पुत्र के जन्म को ग्राम पंचायत बंगोली के रजिस्टर में दर्ज करने बारे आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 25-08-2025 को समय 10.00 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर होकर पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 28-07-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**In the Court of Assistant Collector-cum-Naib Tehsildar, Bharoli,
Distt. Kangra (H.P.)-176 036**

In the matter of :

Amari Devi wd/o Gian Chand s/o Ram Singh, r/o Village Jatehar, Mouza Bharoli, Sub-Tehsil Bharoli, District Kangra, H.P. . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Application for the correction of Name under section 37(2) of Land Revenue Act, 1954.

Notice to the General Public.

Amari Devi wd/o Gian Chand s/o Ram Singh, r/o Village Jatehar, Mouza Bharoli, Sub-Tehsil Bharoli, District Kangra, H.P. has submitted an application under section 37(2) of The Land Revenue Act, 1954 alongwith all supportive documents such as affidavit, Adhar Card, Pan Card, Parivar Nakal and Jamabandi Parcha in the court of undersigned.

Wherein she stated that she belongs to above mentioned address. Her name is written as Amaro Devi in the land/revenue records of Mohal Jatehar, Mouza Bharoli which is wrong. Her original/correct name is " Amari Devi". Therefore, she request to correct her name as "Amari Devi" instead of Amaro Devi in the revenue record of Mohal Jatehar, Mouza Bharoli, Sub-Tehsil Bharoli, as per supportive documents enclosed by her with the application file.

Therefore, through this proclamation in gazette/leading newspaper, the general public is hereby informed that, if any person having any objection for entry of correction in name of applicant mentioned above, may submit his/her objection in writing to this court before 29-08-2025. No objection will be entertained after prescribed period and appliation will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on dated 28-07-2025.

Seal.

Sd/-
Assistant Collector-cum-Naib Tehsildar,
Bharoli, Distt. Kangra (H.P.).

**In the Court of Naib-Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Raja Ka Talab,
District Kangra (H.P.)**

File No. /NTEH/2025 Date of Institution : 28-05-2025 Case Titled : Correction of name

Smt. Kalo Devi wd/o Narayan Singh, r/o Village & P.O. Rehan, Sub-Teshil Raja Ka Talab, District Kangra, H.P.

Versus

The General Public

Notice of the General Public.

Whereas, Smt. Kalo Devi wd/o Narayan Singh, r/o Village & P.O. Rehan, Sub-Teshil Raja Ka Talab, District Kangra, H.P. has filed an application before the undersigned in which she has stated that her correct name according to Gram Panchayat record, Aadhar Card, Bank record, Mark List etc. is Smt. Kalo Devi wd/o Narayan Singh but due to clerical mistake her name has been wrongly entered in Revenue record of Mohal Rehan Khas Patwar Circle Rehan bearing Khata No. 160.

The enquiry of the application filed by the applicant was conducted through field revenue agencies and after receiving report from the field revenue agencies, it has been observed that the applicant correct name is Smt. Kalo Devi wd/o Narayan Singh but the name of the applicant is recorded in revenue record is Smt. Kamla Devi wd/o Narayan Singh.

Now, therefore, in pursuance of section 38 of H.P. Land Revenue Act, 1954, proclamation is hereby issued to all General public concerned that objection in this regard for correction of the name of Smt. Kamla Devi wd/o Narayan Singh shall be heard by the undersigned on 29-08-2025 in his court at Raja Ka Talab. Any person having any objection to make in the matter may due so on the said date and place in person or through legal practitioner or through recognised agent. In case of non-appearance proceedings will be taken *ex-parte* and necessary action in this matter will be taken accordingly as per law.

Given under my hand and seal of the court on 28-07-2025.

Seal.

Sd/-
Naib-Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Raja Ka Talab, District Kangra (H.P.).